

पत्रांक-486 (प्र०)/आ०प्र०

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर० के० सिंह,  
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

जिला प्राधिकारी,  
मधेपुरा/ पूर्णियाँ/ सहरसा/ सुपौल एवं अररिया ।

पटना-15, दिनांक- 24.11.28

विषय: टेन्ट/ पॉलीथीन एवं अन्य सामग्रियों का अभिरक्षण ।

महाशय,

जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि राहत शिविरों से बाढ़ पीड़ित अपने घरों को लौट रहे हैं और शिविर बंद हो रहे हैं । ऐसी स्थिति में आवश्यक है शिविरों में लगाए गए टेन्ट, पॉलीथीन, जेनरेटर, Water Purification Plants एवं अन्य स्थायी सामग्रियों की सूची बनाकर, जिला के District Disaster Management Authority में अभिरक्षित किया जाए (जिस जिले में DDMA का गठन नहीं हुआ है वहाँ के जिलाधिकारी इन सामग्रियों का अभिरक्षण सुनिश्चित करेंगे) ताकि भविष्य में यथा आवश्यक अन्य स्थलों पर इन सामग्रियों को भेज कर उपयोग किया जा सके । इन सामग्रियों का रख रखाव इस प्रकार किया जाए कि ये खराब न हो पाएँ । सभी जिलों में भंडारण की व्यवस्था के संबंध में पूर्व में ही निर्देश दे दिया गया है।

विश्वासभाजन

(आर० के० सिंह)

प्रधान सचिव